नम्बर अहलकार की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 0138/2019

निर्णय दिनांक :–11.03.2022

उनवानी दावा :

सत्यनारायण उर्फ प्रकाश पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कार्यालय दूनी जिला टोंक राजस्थान।
2. रामरतन पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1
इकबालिया जवाब
प्रतिवादी संख्या 2

<u>वाद दुरूस्ती इन्द्राज, उदघोषणा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता सं0 228 ख0नं0 1039 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 1040 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1041 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1042 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1043 रकबा 0.21 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.92 है0 वाके तनग्राम धारोला पटवार हल्का सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। वाद पत्र में वर्णित भूमि पूर्व में वादी के पिता श्रीकिशन पुत्र भुवाना के नाम दर्ज थी। वादी के पिता श्रीकिशन का देहान्त होने के बाद राजस्व कर्मचारियों ने बिना जांच किये लापरवाही पूर्व श्रीकिशन का फौती नामान्तकरण खोला गया जिसमें वादी का नाम प्रकाश के स्थान पर सत्यनारायण संरक्षक श्रीकिशन पिता भुवाना दर्ज कर दिया गया है। वादी अन्य दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम प्रकाश दर्ज है और इस संबंध में ग्राम पंचायत सीतापुरा ने प्रार्थी का नाम प्रकाश होने की तायद कर प्रमाण पत्र जारी किया है तथा एक पंचनामा भी आलेखित किया कि वादी का सही नाम प्रकाश ही है। परन्तु वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रकाश का नाम सत्यनारायण दर्ज कर दिये जाने के कारण वादी कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहा है। वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का

ाम गलत कर दिये जाने पर वादी ने कई बार प्रतिवादी नं0 2 को एवं राजस्व शिविरों में कई बार प्रार्थना पत्र पेश कर अपने नाम का संशोधन करवाने व सही नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये है। लेकिन अब तक वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर प्रकाश दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नहीं किया गया है। इस कारण वाद वर्णित भूमि आराजी हाल खाता संख्या 228 ख0नं0 1039 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 1040 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1041 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1042 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1043 रकबा 0.21 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.92 है0 वाके तनग्राम धारोला पटवार हल्का सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर प्रकाश दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे प्रकाश नाम की उद्घोषणा की जावे। जिसके लिए यह वाद पत्र पेश है। वाद वर्णित भूमि में वादी का नाम संशोधन करवाने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नही करने के कारण प्रस्तुत वाद का वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जो निरन्तर जारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार दूनी जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:-बिन्दू संख्या 1 सही है। बिन्दू संख्या 2 आंशिक स्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 3 वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 4 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 5 अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 6 ता 9 कानूनी है, न्यायालय से सम्बन्धित है। विशेषः- वादी प्रमाणित राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजो से सिद्ध करे। अतः जवाब दावा श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता लाजवन्ती शर्मा ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- वाद पत्र का चरण नं. 1 ता 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है, वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 5 ता 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 9 में चाही गई अधियाचना स्वीकार है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं हैं। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकूर्ड में दुरूस्त किये जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

प्रतिवादीगण का जवाब विरोधस्वरूप नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू-1 स्वयं सत्यनारायण उर्फ प्रकाश पुत्र श्री किशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी व पी. डब्ल्यू-2 मोती पुत्र भंवर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कंवरपुरा तहसील देवली लि टोंक हराज0

ग पेश किया व पी. डब्ल्यू–3 रामलाल पुत्र भंवरा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कंवरपुरा तहसील देवली का पेश किया ।

वादी द्वारा और अधिक साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्यवादी बन्द की गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वाद स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में वादी वादी का सत्यनारायण दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम पंचायत सीतापुरा का प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 में वादी को सत्यनारायण उर्फ प्रकाश एक ही व्यक्ति का पेश किया। पंचनामा प्रदर्श–4 में सत्यनारायण उर्फ प्रकाश में प्रकाश मीणा को सही बताया है। प्रदर्श–5 आधार कार्ड प्रदर्श–6 परिवार राशन कार्ड में प्रकाश मीणा पुत्र श्री किशन मीणा दर्ज सरकारी रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 2 ने भी इकबालिया जवाब पेश किया है। साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 से 3 में वाद की ताईदी की है। उक्त के विश्लेषण से जाहिर होता है कि वादी को दो नामों से जानने के कारण राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में सत्यनारायण दर्ज हो गया है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 228 कुल किता 5 कुल रकबा 0.92 है0 में दर्ज सत्यनारायण को अपास्त किया जाता है और सत्यनारायण के स्थान पर प्रकाश पुत्र भुवाना दर्ज रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(... 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

सत्यनारायण उर्फ प्रकाश पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादी—

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कार्यालय दूनी जिला टोंक राजस्थान।
2. रामरतन पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

<u>वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज</u>

मुकदमा नं. 175 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या व इकबालिया जवाब विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी सम्वत 2070—73 के खाता संख्या 228 कुल किता 5 कुल रकबा 0.92 है0 में दर्ज सत्यनारायण को अपास्त किया जाता है और सत्यनारायण के स्थान पर प्रकाश पुत्र भुवाना दर्ज रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....
.........................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.

अर्जी दावा अदालत नामा म्प तलब सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा अन्य मिजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चे पर दी फरीकेन का कोई डिक्री से अधिक दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए